DECE(PM/PMD)-ऑनलाइन कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया

बी.सी.ई.सी.ई., बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर मेधा-सह-विकल्प के अनुसार सीट आवंटन के लिये कॉउन्सेलिंग Offline mode से की जाती थी । अब इस कॉउन्सेलिंग को Online mode द्वारा आयोजित किये जाने की निर्णय है ।

Online Counselling के लिये निम्नवत् प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था वांछित होगी ;

(i) Online Counselling के लिये Valid अभ्यर्थियों का Registration / Option ।

(ii) प्राथमिकता अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार Option list प्रत्येक Valid registered candidate द्वारा जमा करना ।

(iii) प्राथमिकता अनुसार Final option list LOCK करना ।

(iv) BCECE, Board के Requirements और आवंटन प्रक्रिया के अनुसार Online Counselling mode से Seat allotment के लिये उपयुक्त software तैयार करना ।

(v) प्राथमिकतानुसार अन्तिम Option list के आधार पर मेधाक्रमवार Seat आवंटन करना ।

(vi) Provisional seat allotment order उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

(vii) BCECE Board द्वारा निर्धारित Rules / Regulations के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को Provisional seat allotment हो गया उनके documents / Indentity की सम्यक जाँच करना

(viii) अभ्यर्थी / संस्थान द्वारा नामांकन की सम्पुष्टि करना ।

(ix) First round online counselling के आधार पर नामांकन उपरान्त Vacant Seats पर 2nd round online counselling / allotment किया जायेगा ।

(x) Allotment Remarks field में Allotted Candidate के Status जैसे (against UR Seat / UR against Category Seat Jump Over / Category against UR Seat Compensation / against Category / on SMQ/ ST/SC/EBC/BC) किया जायेगा।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पर्षद
परीक्षावार नामांकन हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया

1. परीक्षा का नाम – DCECE(PM/PMD)-2020
2. मेधा सूची – (i) DCECE-2020

1. (A) PMD **के लिये आवश्यक अर्हताएँ तथा वांछित योग्यतायें :–**

(क) शैक्षणिक :–

पाठ्यक्रम : ड्रेसर (परिधापक)।

शैक्षणिक योग्यता : माध्यमिक परीक्षा / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से दसवीं या अन्य समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। **जो आवेदक वर्ष 2020 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता–प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।**

(ख) आयु :–

पारा मेडिकल–डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2020 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिये। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(B) **पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।**

शैक्षणिक :–

पाठ्यक्रम :

(i) डिप्लोमा–इन–फार्मेसी (भारतीय भैषज्य परिषद की मान्यता संस्थान को प्राप्त होने की स्थिति में ही नामांकन किया जायेगा)।

(ii) सैनिटरी इन्सपेक्टर (स्वच्छता निरीक्षक)।

(iii) ऑफथैलमिक असिस्टेंट (चक्षु सहायक)।

(iv) ओ.टी. असिस्टेंट (शल्य गृह सहायक)

(v) लेबोरेट्री टेकनीशियन (प्रयोगशाला प्रावैधिक)

(vi) एक्स–रे टेकनीशियन (एक्स–रे प्रावैधिक)

(vii) ऑरथोटिक एवं प्रौस्थेटिक सहायक।

(viii) स्टाफ ग्रेड 'ए' नर्सिंग कोर्स (केवल महिलाओं के लिये)।

(ix) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स (केवल महिलाओं के लिए)।

(x) डेन्टल मैकेनिक्स।

(xi) डेन्टल हाइजनिस्ट।

शैक्षणिक योग्यता : ((a)) डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इन्टरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण।

(b) (i) जी.एन.एम. (ग्रेड–A जेनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी) कोर्स, जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिये 10+2 / 12th विज्ञान विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान) में कम–से–कम 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनत्तम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 / इन्टरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जी. एन.एम. नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(iii) ए.एन.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 / इन्टरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(c) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, के लिए केवल 10+2/ इन्टरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ए.एन.एम. कोर्स के लिए 10+2 / इन्टरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए।

(d) शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक + 2 इन्टरमीडिएट साईन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में **भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हों वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।**

(e) **डेंटल मेकेनिक्स एवं डेंटल हाईजिनिष्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल मिलाकर 50 % अंक के साथ 10+2 / इन्टरमीडि**एट साईन्स उतीर्ण।

(f)) जो आवेदक वर्ष 2020 की 10+2 / इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

आयु :-

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12. 2020 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिये। जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए भी अधिकतम आयु की सीमा नर्सिंग कॉउन्सेल ऑफ इन्डिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष है। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी ।

2. सीटों का आवंटन मेधा सूचीवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर किया जायेगा । सीटों की संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी तथा Merit-list पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

3. सीटों के आवंटन में बिहार के आरक्षण के नियमों के अनुसार अनारक्षित कोटि को कुल सीट का 40%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% , आरक्षित वर्ग के महिला 03%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% [Reserved for economically Weaker Sections(EWS)], दिव्यांग के लिये 5% जो कुल सीटों में सम्मिलित है, का भी आवंटन होता है।

Note: (a) Seats under EWS Category are for those candidates of General (UR) category who are not covered under any reservation category i.e. ST, SC, EBC, BC & RCG.

(b) Seats under DQ Category Candidates are included in their respedtive Category

4. अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटि के निम्न क्रम में संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार (उदाहरण स्वरूप डी.सी.ई.सी.ई.-2020 पारामेडिकल की विवरणी संलग्न है) सीट आवंटन किया जाता है।

Disabled Quota (DQ)

Unreserved

ST

SC

EBC

BC

RCG

EWS

5. सीटों का आवंटन उपरोक्त वर्णित क्रम के अनुसार एवं Merit-cum-Choice के आधार पर ही किया जाना है ।

(i) दिव्यांग कोटा - चूँकि DQ. Category की सीटें उपलब्ध Total Seat में ही समाहित रहती है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिस अनारक्षित / आरक्षित कोटि से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें उसी अनारक्षित / आरक्षित के सीट पर आवंटन किया जाता है । (उदाहरण स्वरूप यदि DQ Category का कोई अभ्यर्थी BC कोटि का है, तो उसे BC कोटि की सीट पर आवंटन होगा ।) आरक्षित कोटि में सीट नहीं रहने पर Unreserved सीट पर आवंटन किया जाता है ।

वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम DQ. Category के अतिरिक्त, सामान्य कोटि या आरक्षित कोटि के Result में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन पहले DQ. Seat पर merit-cum-choice के आधार पर होगा । उसके बाद उसी अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि / आरक्षित कोटि की कॉउन्सेलिंग में यदि DQ Counselling से आवंटित कोर्स से कोई Better Choice मिलता है तो उसको सीट आवंटित होगा, नहीं तो उनका DQ-Counselling में आवंटित सीट यथावत रह जायेगी । यदि उनका आवंटन DQ Counselling में होने के पश्चात् अन्य (सामान्य / आरक्षित) कोटि में होता है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ी गयी DQ का सीट DQ Category से ही भरी जायेगी ।

(Minimum Disablity percentage 40 % and above)

(ii) अगर किसी अभ्यर्थी का UR कोटि या संबंधित आरक्षित कोटि में DQ कोटि से आवंटित सीट से better preference मिलता है तो उसे UR अथवा आरक्षित कोटि से सीट दे दें एवं Alloted-Remarks field को Update कर उनके द्वारा लिए गए DQ को रिक्त कर संबंधित Seat को Update करें एवं Allotment प्रक्रिया को दुबारा फिर से Sequence अनुसार शुरू करें। इस विधि से No. of Iteration बढ़ सकती है ।

(iv) Unreserved (अनारक्षित) कोटि :- अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये Course / Institution का आवंटन **Merit-Cum-Choice** के आधार पर उनके द्वारा Registration की गयी Option list के अनुसार किया जायेगा ।

(v) Reserved for Economically Weaker Section (EWS) :- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी ।

(vi) अनारक्षित कोटि की Merit List में आरक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी अपने Merit के अनुसार सम्मिलित रहते हैं उनको Meritorious Reserved Candidate अर्थात MRC Candidate कहा जाता है । ऐसे MRC अभ्यर्थियों को यदि अनारक्षित कोटि में choice के अनुसार सीट उपलब्ध नहीं है तो वांछित Choice के लिये उनसे सम्बन्धित आरक्षित कोटि की वांछित सीट का आवंटन कर दिया जाता है । इस प्रकार के Case को MRC Candidate द्वारा Jump Over Case कहा जाता है । इस प्रकार एक Jump Over के लिये अनारक्षित कोटि की एक सीट नीचे से Compensation के लिये Block रखी जाती है ।

MRC Girls अभ्यर्थियों का सीट आवंटन Course / Institution क्रमशः अनारक्षित उनके सम्बन्धित आरक्षित कोटि तथा RCG कोटि में उनके Preference एवं मेधा क्रमानुसार सीटों की उपलब्धता अनुसार की जायेगी । यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि RCG का Compensation, Reserved Category यथा ST, SC, EBC, BC से नही होगा । Compensation केवल UR to RCG होगा ।

यदि ST,SC,EBC,BC,RCG और EWS कोटियो में MRC Jump के कारण अनारक्षित कोटि में नीचे से कोटिवार Block की गई सीटें क्रमशः $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ हो तो कुल Block सीटें X_T होंगी जबकि

$$X_T = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$$

UR Category के काउन्सेलिंग में जब Total Category का Jump Over Seat, UR (Seat) के Block सीटें के बारबर हो जाती हैं तो वैसी स्थिति में जिस मेधा क्रम पर सीटें बराबर हो जाती हैं उस UR कोटि के मेधाक्रम के नीचे UR में प्रकाशित Result के विरूद्ध कोई आवंटन नहीं किया जायेगा।

पुनः इसके बाद Category में प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार आवंटन प्रारंभ होगा ।

(vii) आरक्षित कोटि :- आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये उनकी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की Merit List से मेधा क्रम के अनुसार Option list की प्राथमिकता आधारित Course / Institution आवंटित किया जायेगा ।

उपरोक्त सीट आवंटन के लिये उपलब्ध सीटें निम्नवत् होंगी ।

Category	Seat available for option	No. of Seats to be allotted
ST	Available Vacancies in ST Category + X_T	Available Vacancies + X_1
SC	Available Vacancies in SC Category +(X_T-X_1)	Available Vacancies + X_2

EBC	Available Vacancies in EBC Category +(X_T-X_1-X_2)	Available Vacancies + X_3
BC	Available Vacancies in BC Category +(X_T-X_1-X_2-X_3)	Available Vacancies + X_4
RCG	Available Vacancies in RCG Category +(X_T-X_1-X_2-X_3-X_4)	Available Vacancies + X_5
EWS	Available Vacancies in EWS Category +(X_T-X_1-X_2-X_3-X_4-X_5)	Available Vacancies + X_6

6. **Private Para Medical संस्थान के लिये आवंटन प्रक्रिया ।**

Private Para Medical संस्थानों की कोटिवार / पाठ्यक्रमवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार मेधाक्रमवार सीट आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी जो Govt Para Medcial College के कोटिवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार Normal Seat वितरण विवरणी के अनुसार सीट आवंटन के लिये अपनायी जाती है ।

Note : (A) 1. Those candidates who have passed Intermediate / Equivalent with "PCB/PCMB" subject, they are eligible for GNM as well as ANM Courses. Subject name are stored in <subject2> field in the database.

2. Those candidates who have passed Intermediate / Equivalent with "PCM/ Arts/ Commerce" subject and if they have not passed ANM Course earlier then they are eligible for only ANM Courses. Subject name are stored in <subject2> field and ANM status is stored in <ANM> field in the database.

3. Those candidates who have passed Intermediate / Equivalent with "PCM/ Arts/ Commerce" subject and if they have passed ANM Course earlier then they are eligible for only GNM as well as ANM Courses. Subject name are stored in <subject2> field and ANM status is stored in <ANM> field in the database.

Note : (B) 1. Diploma in Pharmacy में एक ही संस्थान और एक ही कोर्स है इसलिये इसमें Jumpover Case नहीं होगा ।

2. PHI, Patna के Sanitary Inspector कोर्स में Jumpover Case नहीं होगा

3. (i) PMCH, PATNA, (ii) DMCH, LAHERIASARAI, (iii) J.L.N.M.C.H.,BHAGALPUR, (iv) N.M.C.H, PATNA, (v) S.K.M.C.H. MUZAFFARPUR, (vi) A.N.M.M.C.H. GAYA, (vii) V.I.M.S. PAWAPURI,

(viii) G.M.C. BETTIAH, (ix) PHI, PATNA के Course Opthalmic Assistant, Laboratory Technician, X' Ray Technician and O.T. Assistant को एक ग्रुप मानकर Jump-Over and Compensation की प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

4. PATNA DENTAL COLLEGE में दो कोर्स हैं DENTAL HIGENIST and DENTAL MECHANICS, जिनका अगल से Jump-over Case होगा।

5. Government GNM Course के लिये अलग से Jump-over Case होगा

6. Private GNM Course के लिये अलग से Jump-over Case होगा

7. Government ANM Course के लिये अलग से Jump-over Case होगा

8. Private ANM Course के लिये अलग से Jump-over Case होगा

9. Dresser Course के लिये अलग से Jump-over Case होगा

7. First round of Counselling के पश्चात् विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा Vacancy Position सीधे NIC के Portal पर उपलब्ध कराई जायेगी । किसी अभ्यर्थी का Category differ होने के कारण Category का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगले round के Counselling में मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उन्हें UR की सीट आवंटित की जा सकेगी ।

8. प्रत्येक Round की Allotment प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् NIC द्वारा विभिन्न प्रकार के Report को Generate करना अनिवार्य है । पर्षद द्वारा Generate किये जा रहे विभिन्न प्रकार के Report की छायाप्रति आपके सहज संदर्भ हेतु इस कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया की विवरणी के साथ संलग्न है । आवश्यकतानुसार नए प्रकार के Reports यथा; Category wise / Institution wise / Course wise cut-off Rank तथा Updated Seat Vacancy Position आदि भी तैयार करवाई जा सकती है।